Maharashtra-Karnataka Boundary Dispute

*16. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps/propose to take steps to resolve Maharashtra-Karnataka boundary dispute; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) The boundary dispute between Maharashtra and Karnataka has been pending ever since the reorganisation of States in 1956.

The Government of India has been of the view that the dispute has to be resolved primarily by the two State Governments concerned through discussions and mutual accommodation, and it would be glad to render necessary assistance to the State Governments in this regard.

Central Power Project

*17. SHRI K.M. SAIFULLA:
DR. MOHAN BABU:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the funds allocated for Central Power Projects for the annual plan 1997-98;

(b) whether these funds have been utilised and if not, the extent of unused allocations; and

(c) what was the target for capacity addition for 1997-98 and the actual capacity achieved?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) and (b) As against the Central Plan Outlay of Rs. 7840.35 crores for 1997-98. the provisional actual expenditure has been Rs. 5878.15 crores.

(c) The actual capacity addition during 1997-98 was 3283.3 MW as against a target of 3239 MW.

दहेज के कारण हुई मौतों एवं उत्पीड़न के मामले

*18. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान दहेज के कारण हुई मौतों तथा उत्पीड़न के राज्य-वार कितने-कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार / दण्डित किया गया;

(ग) इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाने हेतु कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने दहेज-विरोधी दस्तों का गठन किया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना अनुपत्रों में दी गई है। [देखिए परिशिष्ट 184, अनुपत्र सं० 7 और 8]

(ग) और (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय होने के कारण अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच करना, उसका पता लगाना और उसकी रोकथाम करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम करने के लिए दहेज निरोधी दस्तों के गठन सहित इस तरह के उपाय करना राज्य सरकार का काम है।

तथापि, केन्द्र सरकार, महिलाओं के प्रति अपराधों के संबंध में निवारात्मक, दण्डात्मक और पुनर्वास संबंधी उपाय करने की आवश्यकता के बारे में जोर देते हुए समय-समय पर राज्य सरकारों को लिखती रही है। केन्द्र सरकार द्वारा सुझाए गए उपायों में अन्य के साथ-साथ दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति, पुलिस स्टेशनों में महिला एककों की स्थापना करना, महिला पुलिस अधिकारियों की बड़ी पैमाने पर भर्ती और पुलिस कार्मिकों को जेंडर सेंसीटाईजेशन ट्रेनिंग देना इत्यादि शामिल है। केन्द्र सरकार मौजूदा कानूनों का उनकी मूलभावना के अनुसार पालन सुनिश्चित करने तथा दहेज-विरोधी और अन्य संबंधित मामलों संबंधी नियमों / अनुदेशों के बारे में आम जनता में जागृति लाने की आवश्यकता के संबंध में राज्य सरकारों पर जोर देती रही है। कानूनों को और अधिक सख्त बनाने की दृष्टि से